न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी महावीर सिंह (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07 / 2023

उनवान

1 श्रीमती सरोज क्षेत्रपाल पत्नि श्री डॉ0 रमेश क्षेत्रपाल जाति हिन्दु पंजाबी निवासी कुन्दन नगर अजमेर

प्रार्थीयागण

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

अप्रार्थी

उपस्थित

1. श्री एन.एस.राजावत अभिभाषक प्रार्थियॉ
2. तहसीलदार अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक 15.06.2023

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान ग्राम पंचायत चाचियावास में पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित । उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर सुना गया।

प्रार्थीयागण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर स्थित वर्किंग खाता संख्या 115 नया 119 पुराना के वर्किंग खसरा नम्बर 1108 रकबा 00–13–00 बिघा किस्म बारानी 03 कृषि भूमि अन्य कृषि भूमियो के साथ श्री हजारी व बिरमा पुत्रगण स्व0 श्री देवा जाति रावत मूल खातेदार रहे है। उक्त वर्णित भूमि के मूल सह खातेदार

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

श्री हजारी पुत्र देवा, जाति रावत के स्वर्गवास के पश्चात अन्य भूमियों के साथ विरासत नामान्तकरण संख्या 347 दिनांक 04.03.2005 उसके विधिक वारिसान श्रीमती बरजी पत्नी स्व0 श्री हजारी, श्रीमती सायरी पत्नि स्व0 श्री शंकर, छोटू व काना पुत्रगण स्व0 श्री शंकर, मीरा पुत्री स्व0 श्री शंकर, श्रीमती मुफली पत्नी स्व0 श्री प्रधान एवं शेरसिह व प्रकाश पुत्रगण स्व0 श्री प्रधान जाति रावत के नाम स्वीकृत किया जाकर वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता संख्या नया 115 पुराना 119 में तदानुसार अंकन कर दिया गया । उक्त 1/2 हिस्से के खातेदार बिरमा पुत्र देवा तथा स्व0 श्री हरजी के विधिक वारिसान जो कि उक्त भूमि वर्णित है में से केवल मात्र काना पुत्र स्व0 शंकर, जाति रावत के हक व हिस्से अर्थात 1/24 हिस्से को छोडकर शेष सम्पूर्ण 23/24 हिस्सा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र नंगा सिह जाति रावत के हक में विक्रय किया जाकर स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रदान कर दिया गया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 366 दिनांक 05.04.2005 23/24 हिस्से के सम्बन्ध में स्वीकृत किया जाकर श्री काना पुत्र शंकर जाति रावत का 1/24 हिस्सा यथावत रखा जाकर तदानुसार वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता संख्या नया 115 पुराना 119 में अंकन कर दिया गया । केता खातेदार श्री लक्ष्मण पुत्र नंगा सिह, जाति रावत द्वारा अपनी क्रयशुद्वा खातेदारी व आधिपत्य की भूमि 23/24 सम्पूर्ण हक व हिस्से को पंजिकृत विक्रय पत्र 30.06.2005 द्वारा अन्य भूमियों के साथ केता श्री रक्षित टंडन पुत्र आर.पी.टंडन के हक में विक्रय किया जाकर स्वामित्व व आधिपत्य प्रदान कर दिया गया । जिस पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2005 के आधार पर उक्त भूमि में 23/24 हिस्से की खातेदारी जरिये नामान्तकरण संख्या 410 दिनांक 20.09.2005 द्वारा रक्षित टंडन के नाम स्वीकृत कियका जाकर तदानुसार वर्किंग जमाबंदी संख्या 2041 के खाता संख्या नया 115 पुराना 119 में अंकन कर दिया गया। उक्त भूमि में निहित 23/24 हिस्से के केता/खातेदार श्री रक्षित टंडन द्वारा अन्य भूमियों के साथ उक्त वर्णित 23/24 हक व हिस्से की भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.01.2007 द्वारा प्रार्थीया के हक में विक्रय की जाकर स्वमित्व व आधिपत्य प्रदान कर दिया गया, जिस पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.01.2007 के आधार पर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि में 23/24 हिस्से की खातेदारी जरिये नामान्तकरण संख्या 834 दिनांक 22.12.2008 द्वारा प्रार्थीया के नाम स्वीकृत किया जाकर तदानुसार वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता संख्या नया 115 पुराना 119 में अंकन कर दिया गया । वर्तमान में

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

के साथ विरासत

संशोधन की कार्यवाही पश्चात वर्किंग खसरा नम्बर 1108 रकबा 00–13–00 विभाजित वर्तमान खसरा नम्बर 718 रकबा 0.0600 हैक्टेयर एवं 719 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कायम किये जाकर वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 के खाता संख्या 542 में खातेदारी दर्ज की गई है परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व एजेन्सी द्वारा लिपिकिय त्रुटि कारित करते हुए काना पुत्र शंकर जाति रावत का 1/24 व श्री रक्षित टंडन का 23/24 हिस्से के स्थान पर वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में किए गये इन्द्राज एवं स्वीकृत नामान्तकरण तथा पंजिकृत विक्रय पत्रो के विपरीत जाकर 1/2 –1/2 हक व हिस्सा अंकित कर दिया है जिसको दुरूस्त किया जाकर विक्रय पत्रो, स्वीकृत नामान्तकरण एवं उसके आधार पर वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता नया 115 पुराना 119 में किये गये इन्द्राज के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड में श्री काना पुत्र शंकर जाति रावत का 1/24 तथा श्री रक्षित टंडन का 23/24 दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत है। अतः प्रार्थीयॉ का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में पजिकृत विक्रय पत्रो के आधार पर विधिवत स्वीकृत नामान्तकरणो के तहत श्री काना पुत्र शंकर जाति रावत का 1/24 व श्री रक्षित टंडन का 23/24 हिस्से की दुरूस्ती की जाकर प्रार्थीया के नाम विधिवत स्वीकृत नामांतकरण संख्या 834 दिनांक 22.12.2008 का अंकन वर्तमान वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 के खाता संख्या 542 में किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए।

दौराने केम्प तहसीलदार अजमेर ने जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम हाथीखेडा के वर्किंग खसरा नम्बर 1108 रकबा 00–13–00 पर नामान्तकरण संख्या 380 दिनांक 06.06.2005, 347 दिनांक 04.03.2005, 366 दिनांक 5.04.2005, 410 दिनांक 20.09.2005, 834 दिनांक 22.08.2008 के आधार पर हाल रेकार्ड में नवीन खसरा नम्बर 718 रकबा 0.06, 719 रकबा 0.05 पर प्रार्थिया का हिस्सा 23/24 एवं काना पुत्र शंकर 1/24 दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मुताबिक वर्किंग जमाबंदी अनुसार गत खसरा नम्बर 1108 रकबा 00–13–00 पर नामान्तकरण संख्या 380 दिनांक 06.06.2005 से विक्रेता बीरमा पुत्र देवा रावत का 1/2 हिस्सा, रक्षित टंडन पुत्र आर. पी.टंडन के नाम दर्ज हुआ । शेष 1/2 हिस्से पर विरासत से हजारी पुत्र देवा के स्थान पर

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

नामान्तकरण संख्या 347 दिनांक 04.03.2005 से बरजी पत्नि हजारी, सायरी बेवा शंकर छोटू, काना पिता शंकर, मीरा पुत्री शंकर, मूफली पत्नि प्रधान, शेर सिह व प्रकाश (नाबा) पिता प्रधान के नाम अंकन दर्ज हुआ । उक्त 1/2 हिस्से के वारिसान में से काना पुत्र शंकर के हिस्से को छोडते हुए विकय नामान्तकरण संख्या 366 दिनांक 05.04.2005 से केता लक्ष्मण सिंह पुत्र नंगासिह जाति के नाम अंकन दर्ज हुआ । तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 410 दिनांक 20.09.2005 से विकय से लक्ष्मण सिह पुत्र नंगासिह के स्थान पर केता रक्षित टंडन पुत्र आर.पी.टंडन के नाम अंकन दर्ज हुआ । नामान्तकरण संख्या 834 दिनांक 22.10.2008 से विकेता रक्षित टंडन पुत्र आर.पी.टंडन के बजाय प्रार्थिया सरोज पत्नी डा0 रमेश क्षेत्रपाल के नाम पर अंकन दर्ज है। अतः वर्किंग जमाबंदी एवं नामान्तकरण संख्या 380 दिनांक 06.06.2005, 347 दिनांक 4.3.2005, 366 दिनांक 5.4.2005, 410 दिनांक 20.09.2005 व 834 दिनांक 22.10.2008 के अनुसार हाल रेकार्ड में खसरा नम्बर 718 रकबा 0.06, 719 रकबा 0.05 पर प्रार्थिया के नाम हिस्सेनुसार दुरूस्ती हेतु अनुशंषा उचित प्रतीत होती है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अजमेर की अनुसार मुताबिक वर्किंग जमाबंदी अनुसार गत खसरा नम्बर 1108 रकबर 00–13–00 पर नामान्तकरण संख्या 380 दिनांक 06.06.2005 से विकेता बीरमा पुत्र देवा रावत का हिस्स 1/2 हिस्सा, रक्षित टंडन पुत्र आर.पी.टंडन के नाम दर्ज हुआ । शेष 1/2 हिस्से पर विरासत से हजारी पुत्र देवा के स्थान पर नामान्तकरण संख्या 347 दिनांक 04.03.2005 से बरजी पत्नि हजारी, सायरी बेवा शंकर छोटू, काना पिता शंकर, मीरा पुत्री शंकर, मूफली पत्नि प्रधान, शेर सिह व प्रकाश (नाबा) पिता प्रधान के नाम अंकन दर्ज हुआ । उक्त 1/2 हिस्से के वारिसान में से काना पुत्र शंकर के हिस्से को छोडते हुए विकय नामान्तकरण संख्या 366 दिनांक 05.04.2005 से केता लक्ष्मण सिंह पुत्र नंगासिह जाति के नाम अंकन दर्ज हुआ । तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 410 दिनांक 20.09.2005 से विकय से लक्ष्मण सिह पुत्र नंगासिह के स्थान पर केता रक्षित टंडन पुत्र आर.पी.टंडन के नाम अंकन दर्ज हुआ । नामान्तकरण संख्या 834 दिनांक 22.10.2008 से विकेता रक्षित टंडन पुत्र आर.पी.टंडन के बजाय प्रार्थिया सरोज पत्नी डा0 रमेश क्षेत्रपाल के नाम पर अंकन दर्ज है। अतः वर्किंग जमाबंदी एवं नामान्तकरण संख्या 380 दिनांक 06.06.2005, 347 दिनांक 4.3.2005, 366 दिनांक 5.4.2005, 410 दिनांक 20.09.2005 व 834

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

2.10.2008 के अनुसार हाल रेकार्ड में खसरा नम्बर 718 रकबा 0.06, 719 रकबा 0.05 र्थया के नाम तहसीलदार अजमेर ने हिस्सेनुसार दुरूस्ती हेतु अनुशंषा की गई है। इस र प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं उनकी पुष्टी में प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य तथा तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जवाब/रिकार्ड से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटि को स्वीकार किया गया है इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीयॉगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

परिणामत: उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अजमेर को आदेश दिए जाते है कि वर्किंग जमाबंदी के नामान्तकरण संख्या 380 दिनांक 06.06.2005, 347 दिनांक 04.03.2005, 366 दिनांक 05.04.2005, 410 दिनांक 20.09.2005, 834 दिनांक 22.10.2008, का नवीन जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद नही हुआ हो तो वर्तमान जमाबंदी संम्वत 2076 के खाता संख्या 542 में मिलान/जांच करने के उपरान्त अमल दरामद करें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार अजमेर को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया ।

महावीर सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर